दिनांक 27.09.2023 स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

आवास प्राप्त करने के लिए जमा करे 10 प्रतिशत अंशदान की राशि

भिलाईनगर/ प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक मोर मकान मोर आस अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को 10 प्रतिशत अंशदान राशि जमा कर लाॅटरी में भाग लेने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। मकानों की निर्धारित संख्या को देखते हुए हितग्राही अंशदान की राशि तत्काल जमा कर अपना स्थान सुनिश्चित करा लेवे। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मोर मकान मोर आस घटक के तहत सूर्या विहार के पीछे, खमरिया, भिलाई, अविनाश मेट्रोपाॅलिश, जुनवानी कोहका, कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे खम्हरिया, एनार स्टेट खम्हरिया, आम्रपाली वनांचल सिटी हाउसिंग बोर्ड, रजत बिल्डर्स, शांतिनगर कोहका एवं स्वप्निल बिल्डर्स कुरूद में निर्माणाधीन आवासों के आबंटन हेतु किराएदारी के रूप में निवासरत बेघर परिवारों के द्वारा आवास आबंटन के लिए विगत 30 जून तक आवेदन जमा किया गया था। पात्र आवेदको को सूचना तामिल किया गया है कि सात दिवस के भीतर आवास आबंटन के कुल राशि का अंशदान राशि 10 प्रतिशत जमा करे ताकि आवास आबंटन हेतु लॉटरी में आपका नाम शामिल किया जा सके। अंशदान की राशि जमा करने के लिए सूचना तामिल होने के सात दिवस का अवसर दिया जा रहा लॉटरी में शामिल होने हेतु आवेदक को अंशदान की राशि जमा करना अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर आवास आबंटन की प्रक्रिया में तीव्रता से काम किया जा रहा है। योजना विभाग के प्रभारी अधिकारी विद्याधर देवांगन ने बताया कि प्रस्तावित स्थलों पर निर्मित/निर्माणाधीन आवासों से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त हुये है, जल्द से जल्द राशि जमा कर आपके द्वारा प्रस्तावित स्थल पर आवास प्राप्त करे।